LNN- 3 427

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

फैक्स/ई–मेल पत्रांकः 10/विविध-10/2010- 2137

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक– 08/11/11

विषयः **मानव व्यापार रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में**

प्रसंगः मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2011 को रिट याचिका संख्या – डब्लु.पी.(सी) संख्या 51/2006 – बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय संविधान की धारा 23, शोषण के विरूद्ध अधिकार को मूल अधिकार की मान्यता देता है एवं किसी भी रूप में मानव व्यापार को निषेध करता है। मानव व्यापार विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों का, मानव अधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है। मानव व्यापार के शिकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें, युवक एवं युवतियाँ होते हैं। धारा 39 के अनुसार, बच्चों का शोषण से बचाव, राज्य की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि बिहार राज्य में मानव व्यापार एक गंभीर समस्या है तथा यह समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को प्रभावित करती है जो मानव व्यापार के शिकार आसानी से हो जाते है।

राज्य इस संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रम/ योजनाओं के द्वारा मानव व्यापार के निषेध एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु प्रयासरत् है। सरकार द्वारा संकल्प संख्या सं0/10/विविध–29/2006/1970 दिनांक 12 दिसम्बर 2006 को 'अस्तित्व' नामक कार्ययोजना की स्वीकृत की गई है जो मानव व्यापार के निषेध एवं पीड़ितों के पुर्नवास के लिए सरकार के संकल्प को प्रकट करता है।

राज्य सरकार किशोर न्याय अधिनियम 2000 को पूर्णतः लागू करने की दिशा में आवश्यक संस्थागत् एवं वैधानिक ढ़ाचों का गठन कर चुकी है। सरकार द्वारा बच्चों के सर्वोपरि हित में आवश्यक कार्रवाईयां की गई है।

भारत सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना तैयार कर राज्यों से इसे लागू करने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने की अपेक्षा की गई। बिहार सरकार द्वारा अप्रैल, 2010 में भारत सरकार के साथ इस योजना हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर दिया गया है तथा बिहार में इस योजना को पूर्णरूपेण लागू किया जा रहा हैं।

इस जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मानव व्यापार को रोकने एवं ट्रैफिकरों के चंगुल से पीड़ितों के छुड़ाने, उनके पुनर्वास तथा समुदाय में समावेशीकरण की पहल करते हुए आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों और उपक्रमों से संबंधित विषयों पर परिपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है, तदनुसार राज्य सरकार के स्तर से निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. **मानव व्यापार (Trafficking) के मामले में बच्चों से व्यवहार में पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ :– (गृह विभाग)**

ट्रैफिकिंग के मामले में कई बार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पिड़ित होते हैं इस संबंध में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायेगी :–

- मानव व्यापार पीड़ित बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रुप में चिन्हित किया जाये और उसे संबंधित जिला के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। यद्यपि किशोर न्याय परिषद् यौन व्यापार से संबद्ध या इस उद्देश्य से मानव व्यापार पीड़ित बच्चों से संबंधित मामलों को देखने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं हैं; किन्तु यदि किसी जिले में किसी कारणवश बाल कल्याण समिति कार्यरत नहीं हो तो इस प्रकार के मामलों को किशोर न्याय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- मानव व्यापार पीड़ित बच्चों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरती जायेगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी पीड़ित किशोर को अनैतिक मानव पणन (निवारण) अधिनियम 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोपित नहीं किया जाय।
- पीड़ित किशोर का विस्तृत साक्षात्कार जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य या सामाजिक कार्यकर्ता, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ संबंधित हो, के द्वारा किया जाय। इनकी अनुपस्थिति में किसी गैर सरकारी संस्था या नागरिक समाज संगठन, जो बच्चों के क्षेत्र में काम करते हों, के सदस्य की मदद विशेष किशोर पुलिस इकाई ले सकती है।
- बालकों के संबंध में पुलिस का व्यवहार मित्रवत् एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप होना चाहिए। दूसरों राज्यों अथवा देशों से संबंधित मामलों में पूर्ण सतर्कता बरती जानी चाहिए और बच्चे के सहयोग के लिए अनुवादक इत्यादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में किसी बच्चे को न तो पुलिस थाने में रखा जाना चाहिए न ही उसे हथकड़ी पहनाया जाय या न ही किसी भी प्रकार की प्रताड़ना पुलिस द्वारा दी जाए।
- यथा संभव मानव व्यापार पीड़ित बच्चे के मामले में अन्वेषण से ट्रॉयल स्तर तक अन्वेषण एक ही अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा किया जाये।

2. **पुलिस तंत्र का प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण :– (गृह विभाग)**

बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के संबंध में पुलिस से संबंधित पदाधिकारियों का समय–समय पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण आवश्यक है। इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई की जाये :–

- जिले स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन के साथ–साथ आवश्यक रुप से थाना स्तर पर किशोर–सह–बाल कल्याण पदाधिकारी को नामित किया जाय एवं इस संबंध में उनका प्रशिक्षण–उन्मुखीकरण किया जाय।
- समय समय पर विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं पुलिस पदाधिकारियों का संवेदीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

3. बाल मजदूरी के निषेध हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन :– (श्रम संसाधन विभाग)

- श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना का सूत्रण किया गया है। इस कार्य योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। राज्य कार्य योजना के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक 4207 दिनांक 20.11.2009 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को एवं श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निदेश दिये गए हैं।
कार्य योजना के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा दलों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं में संलग्न बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया जा रहा है। इस संबंध में सभी जिलों में धावा दल गठित किया गया है तथा धावा दलों के द्वारा जिला पदाधिकारी की देखरेख में बाल श्रमिकों के विमुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। कार्य योजना के अनुसार विमुक्त बाल श्रमिकों को सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है। राज्य कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु उच्च स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्य बल गठित है, इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्य बल गठित है। राज्य कार्य योजना के अनुसार पंचायत स्तर पर भी कार्य बल का गठन किया जाना है। राज्य कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

4. **मानव व्यापार पीड़ित बच्चों की उपस्थिति एवं मामलों का निस्तारण :–**
(समाज कल्याण विभाग/विधि विभाग)

- मानव व्यापार पीड़ित बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रुप में चिन्हित किया जाये और उसे संबंधित जिला के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

- ऐसे पीड़ित बच्चे या जिन बच्चों पर मानव व्यापार करने का आरोप लगा हो उनसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 (2006 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत् व्यवहार किया जाय।
- सभी मजिस्ट्रेट जिनके समक्ष किसी बच्चे को प्रस्तुत किया जाता है, वे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 (2006 में संशोधित) के बारे में संवेदनशील हों। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत बच्चे के मामले को किशोर न्याय अधिनियम के तहत् सुनवाई करें।
- किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 18 के आलोक में व्यस्कों एवं किशोरों की सुनवाई संयुक्त रुप से न की जाय।
- हर स्थिति में पीड़ित बच्चों से संबंधित मामलों में साक्ष्य को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत् बन्द कमरे में लिया जाय एवं बच्चों के हित को प्राथमिकता दी जाय।
- बाल कल्याण समिति की गतिविधियों/कार्यक्रमों का अनुश्रवण उच्च न्यायालय की कम से कम तीन न्यायधीशों और दो मनोचिकित्सकों की सदस्यता वाले समिति के माध्यम से करायी जानी है।

  उपरोक्त में से जिन मामले में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से निदेश दिये जाने की आवश्यकता है उनके लिये विधि विभाग अपने स्तर से परीक्षण करते हुये माननीय उच्च न्यायालय से ऐसा निदेश सभी न्यायालयों को देने हेतु अनुरोध करेगा।

5. काराओं में संसीमित बच्चों के मामले में कार्रवाई :– (गृह विभाग/विधि विभाग)

- राज्य के सभी कारा अधीक्षक अपने कारा की समीक्षा कर संतुष्ट हो लेंगे कि उनके कारा में कोई किशोर बन्दी (18 वर्ष तक की उम्र के) नहीं है। अगर इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो संबंधित कारा अधीक्षक ऐसे किशोरों को किशोर न्याय परिषद् के समक्ष अविलंब उपस्थापित करेंगे।

  यदि इस तरह के कोई मामले किशोर न्याय परिषद के समक्ष आते हैं तो परिषद के प्रधान सदस्य इसकी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जायेगा।

  उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से दिये जाने वाले निर्देशों के बारे में विधि विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगा।

6. बाल कल्याण समिति एवं किशोर गृहों का अनुश्रवण :– (विधि विभाग/समाज कल्याण विभाग)

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बाल कल्याण समितियों के अनुश्रवण हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अथवा माननीय उच्च न्यायालय को दायित्व देने का निदेश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक किशोर गृहों के लिए जिला एवं सत्र

न्यायाधीश अथवा माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश को Visitor घोषित करने का निदेश है जो समय–समय पर अपना प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय को देंगे। विधि विभाग इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय को इस कार्रवाई के लिये अनुरोध करेगा।

- सभी बाल एवं किशोर गृहों का अनुश्रवण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत बाल एवं किशोर गृहों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक माह सचिव, समाज कल्याण को भेजा जायेगा जो समेकित प्रतिवेदन मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

7. बच्चों से संबंधित योजनाओं में राशि का सदुपयोग :– (समाज कल्याण विभाग/पंचायतीराज विभाग)

- किशोर न्याय से संबंधित सभी योजनओं तथा उन पर व्यय होने वाली राशि का अनुश्रवण बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जायेगा।
- बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग व्यय होने वाली राशि के लिए केन्द्रिय योजनाओं के आधार पर एक प्रमाणीकरण योजना की शुरुआत करेगा। यह प्रमाणीकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि व्यय राशि बच्चों के कल्याणार्थ एवं हितार्थ व्यय किये जा रहे हैं।
- आयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् 6–14 वर्ष के बच्चों को मिलने वाली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करायेगा और इस संबंध में नियमानकूल आवश्यक कदम उठायेगा।
- यदि बाल गृह किसी पंचायत क्षेत्र में आता है तो संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि गृहों पर होने वाले व्यय की उपयोगिता को प्रमाणित करें।

8. बच्चों की देखभाल एंव संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय गैर सरकारी संस्थाओं का निबंधन :– (समाज कल्याण विभाग)

वैसे सभी गैर सरकारी संस्थायें जो बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय हैं; उनका निबंधन किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 34(3) के तहत् किया जायेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी होगा।

9. समेकित बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन एवं अनुपालन :– (समाज कल्याण विभाग)

- समेकित बाल सरंक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर व्यवस्थायें निर्मित की गई हैं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को अनुपालित किया जाना है।

- जिला बाल संरक्षण समिति के द्वारा फोस्टर केयर और स्पांसरशीप कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना है जोकि समेकित बाल संरक्षण योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार संचालित किये जायेगें।
- जिला बाल संरक्षण इकाईयां सभी गैर सरकारी संस्थाओं के पूरे विवरण के डाटाबेस का संधारण करेंगी। इसी तरह से जिला स्तर पर बच्चों, उनकी शिक्षा स्तर और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भी संधारित किया जायेगा।
- प्रमुख सेवा प्रदायकों यथा चाइल्ड लाईन, बाल संस्थान, आश्रय गृह, आदि के संबंध में एक संदर्भ सामग्री निर्देशिका जिला स्तर पर संधारित की जायेगी और इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जायेगा।
- पर्यवेक्षण एवं बाल गृहों का संधारण उचित प्रकार से किया जायेगा। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्थायें जिला स्तर पर दत्तक अभिभावकों के संबंध में सूचनाओं का संधारण करेंगे।
- बाल गृह के अधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की चिकित्सा संबंधी जरुरतों खासतौर पर मनोचिकित्सीय सहयोग की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार दी जा रही है।

10. बच्चों को मुफ्त कानूनी सलाह :– (विधि विभाग)

- विधिक सेवा प्राधिकार, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों के अधिकार का संरक्षण एवं मुफ्त कानूनी सलाह देने हेतु प्रयास करेगा। इस संबंध में विधि विभाग अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा।

11. पंचायत स्तर पर बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा :– (पंचायतीराज विभाग)

- सभी पंचायतों में कार्यरत ग्राम कचहरी के सरपंच अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे बच्चों का पहचान करेंगे जो मानव व्यापार के दायरे में आ सकते हैं तथा उन्हें सुरक्षा देने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

12. योजनाओं का समन्वय :– (समाज कल्याण विभाग)

- मानव व्यापार से पीड़ित बच्चों को राहत पहुँचाने एवं उनका पुनर्वास करने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभागों यथा समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, विधि विभाग आदि, क्षेत्रीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से प्रयास आवश्यक है। मानव व्यापार के निषेध एवं योजनाओं के के संबंध में समन्वय हेतु नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग होगा जो अन्य विभागों तथा संस्थाओं से समन्वय कर कार्रवाई करेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशक, समाज कल्याण नोडल पदाधिकारी होंगे।

(421

अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये तथा मानव व्यापार को रोकने एवं पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 2139 दिनांकः 08/11/11

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ मानव संसाधन विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/नगर एवं आवास विभाग/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.04.2011 को रिट याचिका संख्या – डब्लु.पी.(सी) संख्या 51/2006 – बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव